न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00074

दुर्गाशंकर आत्मज नानूराम जाति लुहार निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. किशोर कुमार आत्मज टीकम चन्द ।
2. प्रमोद कुमार आत्मज टीकम चन्द ।
3. लक्ष्मीनारायण आत्मज टीकम चन्द ।
4. श्रीमती कमला बाई पत्नी टीकम चन्द जाति लुहार निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश लोढा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 एवं 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.25 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर कुल 02 किता की 0.64 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के पिता टीकमचन्द के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में टीकमचन्द का 2/3 व दुर्गाशंकर का

1/3 हिस्सा दर्ज है । टीकमचन्द जी का स्वर्गवास हो चुका है उनके प्रतिवादी क्रम 1 से 3 पुत्र व प्रतिवादी क्रम 04 बेवा है । प्रार्थी दुर्गा शंकर टीकमचन्द जी का सगा भाई है वह खसरा नम्बर 1362 की आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के अनभिज्ञ तथा अप्रार्थी क्रम 04 बेवा महिला होने का फायदा उठाकर कैम्प राजस्व शिविर में दिनांक 15.05.2017 को हल्का पटवारी एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि को बंटवारे में अपने नाम करवा लिया तथा खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के नाम करवा दिया । वादी ताकतवर व्यक्ति है जो इस भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे अन्यत्र बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद एवं काउन्टर क्लेम वादी को पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 1362 की 0.25 हैक्टर आराजी को कहीं रहन, बेचान, दान, वसीयत या अन्य तरीके से खुर्द– बुर्द न करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं करे ।

4. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2020 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपक्षी रेस्पोडेन्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित गलत व भ्रमित तथ्यों को सत्य मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । विभाजन के बाद वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 24.02.2020 को प्राप्त हुई उसी दौरान महामारी कोराना – 19 के कारण दिनांक 22.03.2020 को लोक डाउन लग जाने से अपील पेश नहीं की जा सकी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.25 हैक्टर वाके ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी को कहीं रहन, बेचान, दान, वसीयत नहीं करने हेतु अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है कि खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.25 हैक्टर अपीलान्ट के कब्जे में है । यह आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज चली आ रही है इसके बाबत् काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । आराजी खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.25 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि अपीलान्ट व उसके भाई टीकमचन्द के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है इसमें से खसरा नम्बर 1362 की आराजी अपीलान्ट के कब्जे में थी । टीकमचन्द की मृत्यु हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने कैम्प राजस्व शिविर दिनिांक 15.05.2017 को आपसी सहमति से विभाजन करवा कर आराजी खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर आराजी स्वयं प्राप्त की है और खसरा नम्बर 1362 की रकबा 0.25 हैक्टर आराजी अपीलान्ट को विभाजन में दी गई । सहमति के आधार पर विभाजन किया गया और इंतकाल तस्दीक किया गया । इंतकाल तस्दीक हो जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के मन में बदयान्ति आ गई है जिसके कारण अपीलान्ट ने बेदखली का दावा पेश किया है परन्तु गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार करने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट नहीं हैं प्रथमदृष्टयां प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में नहीं है फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 217, आरआरटी 2014 (1) पेज 523, आरआरटी 2015 (1) पेज 633 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया था जिसमें जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम रेस्पोडेन्ट ने पेश किया है । वादग्रस्त आराजी में टीकमचन्द हिस्सा 2/3, दुर्गाशंकर हिस्सा 1/3 संयुक्त खाते में दर्ज था । टीकमचन्द का स्वर्गवास हो चुका है । रेस्पोडेन्टगण उनके वारिस हैं । वादग्रस्त आराजी जो कि रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है और उनके हिस्से की है उनके अनभिज्ञ और बेवा महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व शिविर में कर्मचारियों से मिली भगत कर सडक के किनारे की कीमती जमीन अपने नाम करवा ली और खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर आराजी जो कि अनुपजाऊ है और मौके पर पूरा रकबा नहीं है रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करवा ली । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । यदि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया तो रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी टीकमचन्द एवं दुर्गाशंकर के सहखातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 826 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार इस आराजी का सहमति के आधार पर विभाजन हुआ है जिसमें रेस्पोडेन्ट के खाते में खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.39 हैक्टर और अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.25 हैक्टर आराजी दर्ज करने का आदेश हुआ है । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का सहमति से विभाजन हो चुका है । सहमति से विभाजन के आधार पर वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के तन्हा खाते में दर्ज है । यदि रेस्पोडेन्टगण को इस सहमति से विभाजन पर कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम अधिकारी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । जब तक सहमति के आधार पर हुए विभाजन के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है तब तक रेस्पोडेन्टगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति इस आराजी के बाबत् नहीं बनता है । रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा होती हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अपीलान्टगण के खाते में दर्ज आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा